मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक / 407 F01-119/2018/20-1 भोपाल,दिनांक 08/03/019

प्रति,

1. आयुक्त लोक शिक्षण
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

विषयः– माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के संबधं में।
संदर्भ– म.प्र. शासन का पत्र क. एफ 01–119/2018/20–1/दिनांक 28.8.2018

––00––

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रकिया जारी की गई है। उक्त निर्देश के अनुक्रम में मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्ते भर्ती नियम 2018 के तहत माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की कार्यवाही आरंभ की जाना है। स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विकासखंडों में माध्यमिक शिक्षक के नियोजन के लिये निम्नलिखित दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जावे :–

1. स्कूलवार स्वीकृत पदों के विरूद्ध रिक्त पदों की प्रविष्टि एवं सत्यापन–

1.1 सीधी भर्ती के पदों के आकलन हेतु एम.पी. ऑनलाईन द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर में विषयवार रिक्तियों के सत्यापन एवं अपडेशन का मॉड्यूल जिला शिक्षा अधिकारी के G2G लॉगिन पर उपलब्ध कराया गया है।

1.2 रिक्तियों का अपडेशन हेतु जिला स्तर पर किया जाएगा।

1.3 जिला स्तर पर रिक्तियों के अपडेशन हेतु –

- जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक स्कूल की वर्तमान स्थिति का प्रिंटआउट निकाल कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दिया जायेगा।
- विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक द्वारा संयुक्त रूप से समस्त माध्यमिक शालाओं के प्रधानपाठक को अपनी शाला के शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर एवं उनके विषय की जानकारी के साथ आमंत्रित किया जावेगा।

- बैठक में प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी को उपडेट करने हेतु संबंधित प्रधानपाठक को शालावार विषयवार रिक्तियॉ की जानकारी का प्रिंटआउट दिया जाएगा, जिसे संबंधित प्रधानपाठक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज देखकर अपडेट किया जाएगा। शाला प्रमुख द्वारा शाला के दस्तावेज यथा उपस्थिति रजिस्टर, संबंधित के नियुक्ति आदेश में उल्लेखित विषय तथा संबंधित संस्था से वेतन आहरण की स्थिति को देखकर कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी को अपडेट किया जाएगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि संबंधित शिक्षक द्वारा पढाये जा रहे विषय के आधार पर उसे उस विषय में कार्यरत नहीं माना जाएगा अपितु नियुक्ति/पदोन्नति आदेश में उल्लेखित विषय में ही कार्यरत माना जाएगा।
- विकासखंड शिक्षा अधिकारी समस्त स्कूलों की हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित जानकारी प्राप्त कर जिला स्तर पर शालावार रिक्तियों का ऑनलाईन अपडेशन करेंगें। अर्थात जिला स्तर पर रिक्तियों के अपडेशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं विकासखंड स्रोत समन्वयक को आमंत्रित कर मॉड्यूल में शालावार विषयवार रिक्तियों को ऑनलाईन अपडेट करवाएंगें। विकासखंडवार अपडेटेड जानकारी का प्रिंट निकालकर उसकी हस्ताक्षरित प्रति जिला स्तर पर रखी जाएगी।

1.4 विकासखंडवार शालावार कार्यरत व्यक्तियों की संख्या के अपडेशन के आधार पर सभी शालाओं मे विषयमान से कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी की प्रविष्टि पूर्ण हो जाने के बाद जिला स्तर की कुल स्वीकृत एवं कार्यरत तथा रिक्तियों की जानकारी प्रदर्शित होगी। तदुपरांत कुल कार्यरत व्यक्तियों की संख्या में से कितने शिक्षक सीधी भर्ती से एवं कितने शिक्षक पदोन्नति से पदस्थ है उसकी जानकारी ग्रेडेशन लिस्ट से जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अंकित की जायेगी जिसका प्रिंट आउट निकालकर हस्ताक्षरित कॉपी राज्य कार्यालय को 10.4.2019 को ई मेल से भेजी जाएगी।

1.5 जिला स्तर पर स्कूलवार रिक्तियों के ॲपडेशन एवं सत्यापन का कार्य दिनांक 10.4.2019 तक पूर्ण किया जावे।

1.6 स्वीकृत पदों की संख्या RTE के लिए नामांकन एवं विषय आधार पर जारी सेटअप के आधार पर तय की गई है। कार्यरत एवं रिक्तियों संबंधी कार्य के दौरान किसी स्कूल को स्वीकृत पदों की संख्या के संबंध में कोई आपत्ति हो तो संबंधित शाला के प्रधानपाठक

विषयमान से नामांकन के साथ औचित्यपूर्ण प्रस्ताव विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें जिसे जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एकीकृत किया जाएगा।

1.7 जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित स्कूलों के लिये आवश्यक स्वीकृत पदों की संख्या के प्रस्ताव को अपने अभिमत एवं औचित्य के साथ संचालनालय को प्रेषित करेंगे। परीक्षण के उपरांत आवश्यकता होने पर स्वीकृत संख्या में परिवर्तन किया जाएगा। जिसकी सूचना एम.पी. ऑनलाईन को दी जाएगी तदुपरांत पोर्टल पर संशोधन राज्य स्तर से ही किया जायेगा।

1.8 जिलों से प्राप्त रिक्तियों के आधार पर संकलन किया जाकर माध्यमिक शिक्षक के लिए संबंधित संयुक्त संचालक स्तर से विज्ञापन जारी किया जावेगा।

2 अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र –

2.4 भर्ती नियम 2018 के नियम 11(7) (ख) (चार) के तहत शेक्षणिक संवर्ग अंतर्गत सीधी भर्ती के शिक्षकों के पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियॉ अतिथि शिक्षक वर्ग के लिए आरक्षित की जाएंगी। जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों में एवं न्यूनतम 200 दिवस शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया गया है।अतः अतिथि शिक्षकों के लिए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

2.5 इस हेतु अनुभव प्रमाण पत्र एज्यूकेशन पोर्टल से संबंधित अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति एवं मानदेय भुगतान देयकों के आधार पर जनरेट किया जावेगा।

2.6 एज्यूकेशन पोर्टल से वेतन व्यवस्था होने के पूर्व की अवधि (2009 के पूर्व) में कार्यरत अतिथि शिक्षक (जिन्हे चेक के माध्यम से मानदेय भुगतान किया गया है) के अनुभव की प्रविष्टि संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर की जाएगी ।

3. अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण–पत्र जारी करने की प्रक्रिया–

3.1 अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को सर्वप्रथम स्वयं को बायोमेट्रिक / ओ.टी.पी. प्रक्रिया द्वारा आधार नम्बर सत्यापित करते हुये आधार लिंक कराना होगा

3.2 विभिन्न वर्षों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सूची public domain पर प्रदर्शित होगी, जिसमें जिला, विकासखण्ड, डाईस कोड, स्कूल नाम, गेस्ट–आई.डी., अतिथि का नाम, जेण्डर, जन्मतिथि, अतिथि–वर्ग (1 / 2 / 3) इत्यादि जानकारी प्रदर्शित होगी।

//Scan/RSatankar/2019

3.3 अतिथि शिक्षक सत्रवार एवं विद्यालयवार **"उपस्थिति सत्यापन पत्रक"** एजुकेशन पोर्टल से डाउनलोड करेंगे। यदि किसी अतिथि शिक्षक ने 6 सत्रों में कार्य किया है, तो उसके 6 सत्यापन पत्रक डाउनलोड होंगे।

3.4 "उपस्थिति सत्यापन पत्रक" को संबंधित संस्था प्रमुख उपस्थिति पंजी एवं संकुल प्राचार्य मानदेय भुगतान देयक से मिलान कर सत्यापित करेंगे।

3.5 उपस्थिति सत्यापन पत्रक में किये गये संशोधन को संकुल प्राचार्य द्वारा अपडेट करने के पश्चात लॉक किया जायेगा।

3.6 उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात लॉक किए गए प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगिन आई.डी. पर प्रदर्शित होने लगेंगे। जिसे जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा रेकार्ड से चेक कर लॉक किया जायेगा।

3.7 उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात पोर्टल जनरेटेड बार–कोडेड अनुभव प्रमाण–पत्र जनरेट हो जायेगा जिसपर संस्था प्रमुख तथा संकुल प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे एवं जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत उक्त प्रमाण पत्र मान्य होगा।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात राज्य शासन के आदेश दिनांक 28.8.2018 के अनुक्रम में आगामी कार्यवाही की जाएगी।

07.03.19.

(के.के. द्विवेदी)
उप सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग
08/03/2019

प्रतिलिपिः– 408/F-01-119/2018/20-1

1. निज सचिव, मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल ।
2. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल ।
3. कलेक्टर समस्त जिले।
4. सी.ओ.ओ. एम.पी. ऑनलाईन, निरूपल शापिंग मॉल, द्वितीय तल अहमदपुर होशंगाबाद रोड़ भोपाल।

07.03.19

उप सचिव
स्कूल शिक्षा विभाग

//Scan/RSatankar/2019